समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला पंचायत कार्यालय)

-:: आदेश ::-

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या-17(आ0), दिनांक-15.05.2020 द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-01(स्वी0), दिनांक-15.05.2020 द्वारा ग्राम पंचायत में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत कार्यपालक सहायक के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष '0009.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि मो0 95,00,000/-(पंचानवे लाख) रू0 को निम्नवत प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्यपालक सहायक के मानदेय भुगतान हेतु उनके नाम के सामने उपावंटित किया जाता है:-

क्रं0	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत में कार्यपालक सहायक का स्वीकृत बल	ग्राम पंचायत में कार्यरत कार्यपालक सहायक	उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	17	17	967066
2	घैलाढ़	9	9	511976
3	सिंहेश्वर	13	13	739520
4	शंकरपुर	9	9	511976
5	गम्हरिया	8	8	455090
6	मुरलीगंज	17	17	967066
7	कुमारखंड	21	21	1194611
8	ग्वालपाड़ा	12	12	682635
9	बिहारीगंज	12	12	682635
10	पुरैनी	9	9	511976
11	चौसा	13	11	625749
12	उदाकिशुनगंज	16	16	910180
13	आलमनगर	14	13	739520
कुल योग :-		**170**	**167**	**9500000**

मो0 (पंचानवे लाख) रूपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक-17.04.1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. ***उपावंटित राशि का भुगतान बिहारी प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में करना सुनिश्चित किया जाये।***

4. ***उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3045/पं0रा0, दिनांक-09.05.2019 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित किया जाना अनिवार्य है। पत्र में वर्णित बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाये।***

5. उपावंटित राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के उपस्थिति विवरणी के अनुसार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/ लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ प्राथमिकता इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसगंत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-20.03.2021 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

10. इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-251500198009 है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-649/पं0, मधेपुरा, दिनांक- 16 /05/2020

प्रतिलिपि :- सभी ग्राम पंचायत सचिव, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिले के वेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

16/05/2020

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/17 (आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 15/5/2020

विषय: **विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹25.92 करोड़ (पचीस करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की कुल ₹1401.17 करोड़ (चौदह अरब एक करोड़ सत्रह लाख रूपये) मात्र की अनिकासित राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायत कार्यालय के बीच वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹25.92 करोड़ (पचीस करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त के आलोक में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप **कुल ₹25.92 करोड़ (पचीस करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है:

क्र०	जिला	ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों के मानदेय हेतु आवंटित राशि
1	2	3
1	Araria	10000000.00
2	Aurangabad	7800000.00
3	Banka	2000000.00
4	Begusarai	3500000.00
5	Bhagalpur	10000000.00
6	Bhojpur	8700000.00
7	Buxar	4900000.00
8	Darbhanga	11500000.00
9	E. Champaran	12700000.00
10	Gaya	2400000.00
11	Gopalganj	7300000.00
12	Jamui	5200000.00

13	Jehanabad	4000000.00
14	Kaimur	5100000.00
15	Katihar	8000000.00
16	Khargaria	2900000.00
17	Kishanganj	4200000.00
18	Lakhisarai	1500000.00
19	Madhepura	9500000.00
20	Madhubani	15000000.00
21	Munger	3400000.00
22	Muzzafarpur	15000000.00
23	Nalanda	10000000.00
24	Nawada	6400000.00
25	Patna	8400000.00
26	Purnia	6400000.00
27	Rohtas	6900000.00
28	Samastipur	12500000.00
29	Saran	12000000.00
30	Sheikhpura	900000.00
31	Sheohar	1800000.00
32	Sitamarhi	10000000.00
33	Siwan	10000000.00
34	Supaul	7500000.00
35	Vaishali	1600000.00
36	W. Champaran	10700000.00
	Total :-	259200000.00

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्य शीर्ष--2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष - 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-- उपशीर्ष - 0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" अंतर्गत विषय शीर्ष '0009.31.06-सहायक अनुदान - गैर वेतन' से की जायेगी। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980009 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017 के पृष्ठ संख्या 63/टि० पर दिनांक 15/5/20 को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

15/05/2020

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/ 17 (अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 15/5/2020

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/05/2020

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/ 17 (अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 15/5/2020

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/05/2020

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Estb & Commt Exp\5th SFC 2019-20\2nd Inast. of 5th SFC in 2020-21\GP\1st Inst of 19-20 SFC GP Excutie Assistan.docx